


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature: [Handwritten Signature]
ACC Name: -OM PRAKASH BARANWA.
ACC Code: -UP 14289804
ACC Add: -Sarsauli, Varanasi
Mobile No.-9415685797
Licence No.-29/119/20 &
District Varanasi

Certificate No. : IN-UP49988022273030U
Certificate Issued Date : 15-Nov-2022 11:17 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14289804/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1428980491711312641661U
Purchased by : S J R S INFRACITY PVT LTD BY DIR DINESH SEVARMANI
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : ARAZI NO 1565 AND 1563 MAUZA VEERBHANPUR PARGANA KASWAR RAJA TEHSIL RAJATALAB DISTRICT VARANASI
Consideration Price (Rs.) :
First Party : JITENDRA KUMAR AND OTHERS
Second Party : S J R S INFRACITY PVT LTD BY DIR DINESH SEVARMANI
Stamp Duty Paid By : S J R S INFRACITY PVT LTD BY DIR DINESH SEVARMANI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 17,78,000
(Seventeen Lakh Seventy Eight Thousand only)



Handwritten notes in Hindi:
22/01/2023
आजा निवेश - ई-स्टाम्पिंग का
IN-UP49988022273030U इलेक्ट्रॉनिक
युक्ति से 04/11/2023 को 3.45PM
में प्रयुक्त होगा यह पत्रण का
[Handwritten signature]

Please write or type below this line

Signature: [Handwritten Signature]
ACC Name: -OM PRAKASH BARANWA.
ACC Code: -UP 14289804
ACC Add: -Sarsauli, Varanasi
Mobile No.-9415685797
Licence No.-29/119/20 &
District Varanasi

Handwritten notes:
22/01/2023
[Handwritten signature]





रामेश्वर
रूपो निवन्धक
SJSRS INFRACITY PVT. LTD.
गंगार-वारणसी
Anurag Kumar Director

PU 0004331552


Statutory Alert:

- 1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(3)



लेखपत्र बनाएं



202301035000179

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर) (आवासीय(अकृषक)) भूखण्ड / भवन

डेवलपर सश्रीमेण्ट

जितेन्द्र कुमार (पैन-AUVPS1649D, मोबाइल नं. 9450368461) व
राजेश सिंह (पैन-AJPPS4409R, मोबाइल नं. 9415353821) पुत्रगण स्व. सकल
नारायण सिंह निवासीगण मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-
राजातालाब, जिला-वाराणसी

..... प्रथम पक्ष/भूस्वामीगण

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

राजेश कुमार

Anurag Kumar Singh

DIRECTOR



(4)

व

एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., (पैन-ABGCS4413D, मोबाइल नं. 6394060040) पंजीकृत कार्यालय मकान नं. डी. 59/105-60. चन्द्रिका नगर कालोनी, सिगरा, वाराणसी, उ. प्र.-221010 बजरिये निदेशक अनुराग कुमार सिंह पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह निवासी मौजा-वीरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी, उ. प्र.

..... द्वितीय पक्ष/बिल्डर्स/डेवलपर्स

विदित हो कि प्रथम पक्ष जायदाद हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल के मालिकान काबिज दखील चले आ रहे हैं तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा है, जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शरीक, सहीम व हिस्सेदार नहीं है। जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक-साफ है, किसी के हक में सट्टा, रेहन आदि नहीं किया है न तो किसी अदालती कार्यवाही में कुर्क या नीलामी हुआ है और न तो कोई अदालती कार्यवाही जायदाद मजकूर के वनिस्बत जेरे तजबीज है।

जायदाद मजकूर से प्रथम पक्ष को कोई विशेष लाभ नहीं है, लेहाजा प्रथम पक्ष ने आपस में राय-मशविरा करके यह तय किया कि उसपर बहुमंजिली इमारत का निर्माण कराया जाय और उसको विक्रय करके प्राप्त धनराशि से लाभान्वित हुआ जाय, परन्तु पर्याप्त धन न रहने के कारण व निर्माण सम्बन्धी जानकारी के अभाव में प्रथम पक्ष ने निर्णय लिया कि किसी बिल्डर्स/डेवलपर्स से मिलकर

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Anurag Kumar Singh
DIRECTOR

Kishu


21/12/2012





आवेदन सं०: 202301035000179

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)


वर्ष: 2023

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 123

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 1778000 बाजारी मूल्य - 33611000 पंजीकरण शुल्क - 336110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 336190

श्री जितेन्द्र कुमार ,
पुत्र श्री स्व० सकल नारायण सिंह
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: मौजा वीरभानपुर परगना कसवार राजा तहसील राजातालाब जिला वाराणसी



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/01/2023 एवं 11:38:40 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय देव .

उप निबंधक : गंगापुर


वाराणसी

07/01/2023

छोटे लाल . .

निबंधक लिपिक

07/01/2023



प्रिंट करें

उपरोक्त निर्माण कराया जाय। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त कार्य के लिए द्वितीय पक्ष से सम्पर्क किया। द्वितीय पक्ष एक ख्यातिप्राप्त बिल्डर्स/डेवलपर है और उसका कार्य जमीन जायदाद को क्रय करके अथवा उसको बिल्डर एग्रीमेन्ट पर ले करके उसपर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करना और उसको विक्रय करना है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की भूमि पर निर्माण करने के लिए रजामन्द है। पक्षगण के बीच में निर्माण सम्बन्धी सभी शर्तें तय हो गयी हैं जिसे लिपिबद्ध किया जाना जरूरी है। अस्तु उभय पक्ष अपने-अपने स्वस्थ चित्त व शरीर से तथा स्थिर बुद्धि एवं प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दाब नाजायज के यह डेवलपर एग्रीमेण्ट तहरीर कर इकरार करते हैं और पाबन्द शरायत जैल के होते हैं:-

- (1) यह कि प्रथम पक्ष जायदाद मजकूर जिसका विस्तृत विवरण वसीका हाजा के अन्त में अनुसूची-प्रथम में दिया गया है, के मालिक हैं और जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक-साफ है और प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विश्वास दिलाने पर द्वितीय पक्ष जायदाद मजकूर पर निर्माण करने के लिए अग्रसर हुआ है।
- (2) यह कि जायदाद मजकूर में स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद परिलक्षित होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की है और भविष्य में होगी।

Kishor



21/11/19 4:12 PM

SIRS INFRACTY PVT. LTD.

Anurag Kumar Singh



DIRECTOR

आवेदन सं०: 202301035000179

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 123

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री जितेन्द्र कुमार, पुत्र श्री स्व० सकल नारायण सिंह

निवासी: मौजा वीरभानपुर परगना कसवार राजा तहसील
राजातालाब जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार



विक्रेता: 2

श्री राजेश सिंह, पुत्र श्री स्व० सकल नारायण सिंह

निवासी: मौजा वीरभानपुर परगना कसवार राजा तहसील
राजातालाब जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार



क्रेता: 1

श्री एस०जे०आर०एस० इन्फ्रासिटी प्रा०लि० बजरिये निदेशक
के द्वारा अनुराग कुमार सिंह, पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह

निवासी: मौजा वीरभानपुर परगना कसवार राजा तहसील
राजातालाब जिला वाराणसी

व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री संदीप कुशवाहा, पुत्र श्री अवध नारायण

निवासी: मकान नम्बर डी० 53/100 छोटी गैबी लक्सा
कमच्छा वाराणसी


व्यवसाय: व्यापार



- (3) यह कि जायदाद मजकूर में किसी प्रकार की कोई माँग किसी शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय विभाग का देय नहीं है और न तो किसी महाजन अथवा बैंक अथवा कम्पनी आदि से उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऋण लिया गया है। इसके विपरीत यदि कोई तथ्य पाया जाता है तो उसकी देनदारी प्रथम पक्ष की है और होगी।
- (4) यह कि द्वितीय पक्ष अपने पैसे से मानचित्र जिला पंचायत, वाराणसी से स्वीकृत करायेगा। उक्त खर्च से प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा परन्तु प्रथम पक्ष जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ द्वितीय पक्ष का सहयोग करेगा, हस्ताक्षर करेगा और मानचित्र से सम्बन्धित शपथ-पत्र और प्रार्थना-पत्र पर अपने हस्ताक्षर देंगे।
- (5) यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद हस्ब तफसील जैल पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करायेगा और उक्त निर्माण में जो भी धन व्यय होगी उसे लगाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, उससे प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।
- (6) यह कि सम्पूर्ण निर्माण का 40 प्रतिशत अंश प्रथम पक्ष को प्राप्त होगा व 60 प्रतिशत अंश द्वितीय पक्ष कम्पनी को प्राप्त होगा। यह अनुपात काम्प्लेक्स के प्रत्येक तल पर लागू होगा यानी प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर इसी अनुपात में उभय पक्ष के मध्य हुए निर्माण का विभाजन होगा।

21/02/2019
SJS INERACITY PVT. LTD.
Anurag Kumar Singh

Kanish



DIRECTOR

पहचानकर्ता : 2

श्री अरूण कुमार सिंह , पुत्र श्री स्व० गिरजा प्रसाद सिंह

निवासी: ग्राम भदवर पोस्ट काशीपुर राजातालाब वाराणसी

व्यवसाय: वकालत



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय देव .

उप निबंधक : गंगापुर

वाराणसी

07/01/2023

छोटेलाल ..

निबंधक लिपिक वाराणसी

07/01/2023

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रिंट करें



- (7) यह कि द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण इमारत में एक समान रूप से समान गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामान लगायेंगे और वह सभी सामान की क्वालिटी जो बिल्डर्स के अंश में लगाया जायेगा वही सामान प्रथम पक्ष के अंश में भी लगाया जायेगा।
- (8) यह कि द्वितीय पक्ष मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त दिनांक से तीन साल के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा कर लेगा और यदि उक्त अवधिके अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा नहीं हो जाता तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 6 (छः) माह का अतिरिक्त समय देगा परन्तु यदि किसी नोटिस या मुकदमा या नोटिफिकेशन सरकारी या अर्द्ध-सरकारी नोटिस के व्यवधान के कारण अथवा किसी दैवी आपदा के कारण अथवा भूकम्प, बाढ़, राशनिंग आदि के कारण अथवा कर्फ्यू आदि के कारण कार्य में रुकावट आता है तो उक्त रुकावट की अवधि का समय अतिरिक्त समय के रूप में द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा परन्तु उसके बाद भी यदि द्वितीय पक्ष कार्य को पूरा नहीं कर पाता है या कार्य को करने में विलम्ब करता है तो वह 5,000/- रुपया प्रतिमाह हर्जाने के रूप में प्रथम पक्ष को देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (9) यह कि यदि कार्य के दौरान स्वामित्व सम्बन्धी दोष के कारण किसी प्रकार कार्य में रुकावट उत्पन्न किया जाता है तो उसे

SJRS INFRACITY PVT. LTD

21/11/2015 12:12 AM
Anurag Kumar Singh
DIRECTOR

[Handwritten signature]



सुलझाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी परन्तु यदि प्रथम पक्ष उसे नहीं सुलझा पाता या उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है और वह प्रथम पक्ष नहीं दे पाता है तो उक्त धन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा और वह धन प्रथम पक्ष की तरफ से द्वितीय पक्ष खर्च करेगा और उक्त धन का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी और यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उसके किये गये खर्च को नहीं देता है तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अंश के फ्लैट से उक्त रुपया वसूल कर सकेगा।

- (10) यह कि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त पक्षगण के लाभान्वित होने के उद्देश्य से यदि अतिरिक्त निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाता है और यदि उक्त उद्देश्य के लिए परचेजेबुल एफ. ए. आर. क्रय किया जाता है तो उस सूरत में क्रय मूल्य व समन शुल्क जो भी वी. डी. ए./जिला पंचायत द्वारा आरोपित किया जायेगा उसकी देनदारी द्वितीय पक्ष की होगी एवं सम्पूर्ण निर्माण द्वितीय पक्ष करायेगा तथा सम्पूर्ण मालिकाना हक द्वितीय पक्ष के पास रहेगा, उसको विक्रय करने का अधिकार द्वितीय पक्ष के पास होगा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रथम पक्ष अपने 40 प्रतिशत के अतिरिक्त सम्पूर्ण निर्माण में किसी प्रकार से अन्य फ्लैट की

[Handwritten signature]



21/12/15 4/12/15
 SJRS INFRACITY PVT. LTD.
[Handwritten signature]
 DIRECTOR



हिस्सेदारी का अधिकार नहीं रखेगा एवं न ही भविष्य में इसके बाबत कोई क्लेम करेगा।

- (11) यह कि द्वितीय पक्ष प्रचार व प्रसार के लिए भूमि पर अपना साइनबोर्ड कायम करेगा उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं होगा।
- (12) यह कि प्रथम पक्ष ने आज द्वितीय पक्ष को जमीन मजकूर पर कब्जा दखल करा दिया और द्वितीय पक्ष बहसियत बिल्डर/डेवलपर जमीन पर काबिज होकर निर्माण कार्य करे, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथम पक्ष को न होगा।
- (13) यह कि निर्माण कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।
- (14) यह कि निर्माण पूर्ण होने पर प्रथम पक्ष/भू-स्वामीगण निर्मित क्षेत्र के 40 प्रतिशत व द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता के अपने-अपने 60 प्रतिशत अंश पर जो भी कर, भवन कर, जलकर, सीवरकर, इत्यादि देय होगा उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अदा करने का उत्तरदायी है व होगा। प्रस्तावित अपार्टमेण्ट में स्थित फ्लैट के विक्रय के बाद फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा तथा सोसायटी के नियम के तहत कामन

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

२१ जे २१५५१३ *Anurag Kumar*

DIRECTOR

Singh




सुविधाओं के रख-रखाव का खर्च सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए फ्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

- (15) यह कि प्रथम पक्ष अपने हिस्से के फ्लैटों को व द्वितीय पक्ष अपने हिस्से के फ्लैटों को एग्रीमेण्ट सट्टा इकरारनामा व विक्रय पत्र एकल रूप से तहरीर कर पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (16) यह कि द्वितीय पक्ष योजना के अनुरूप समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुसार व नियमों के अनुरूप व मानक के अनुसार सामानों का इस्तेमाल करते हुए करेगा।
- (17) यह कि इस अनुबन्ध से पक्षगण के बीच कोई साझेदारी नहीं उत्पन्न हो रही है।
- (18) यह कि अपार्टमेण्ट का नाम "एस.जे.आर.एस. अपार्टमेण्ट" होगा।
- (19) यह कि प्रथम पक्ष इकरारनामा में वर्णित तरीके के अतिरिक्त जायदाद मजकूर का विक्रय अथवा विक्रय हेतु अनबन्ध नहीं करेगा।
- (20) यह कि बेसमेन्ट व भूतल पर पार्किंग प्रस्तावित है। प्रथम पक्ष बेसमेन्ट व भूतल पर सम्पूर्ण पार्किंग एरिया का 40 प्रतिशत के पार्किंग के उपयोग के लिए प्राप्त करेगा और उसी प्रकार द्वितीय

SJRS INFRACITY PVT. LTD

21/05/2012

DIRECTOR



पक्ष सम्पूर्ण पार्किंग स्थल अपने अंश के अनुसार प्राप्त करेगा।
पार्किंग स्थल का चिहांकन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् व
निर्माण होने के पश्चात् किया जायेगा।

- (21) यह कि द्वितीय पक्ष के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के द्वारा
अनुराग कुमार सिंह पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह निवासी मौजा-
वीरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-
वाराणसी, उ. प्र. को कम्पनी की तरफ से यह डेवलपर्स एग्रीमेण्ट
अपने हस्ताक्षर से निष्पादित व पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया
गया है एवं जहाँ-जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर उक्त अनुराग
कुमार सिंह कम्पनी की तरफ से अपने हस्ताक्षर से कार्य करेंगे।

अतः उभय पक्ष यह डेवलपर एग्रीमेण्ट तहरीर कर निबन्धित करा दिया कि
सनद रहे और समय पर काम आवे।

जायदाद हस्ब तफसील जैल/ अनुसूची-प्रथम

आराजी नं. 1565, रकबा-0.2770 हेक्टेयर यानी 30137.6 वर्गफीट यानी
2800.892 वर्गमीटर स्थित मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-
राजातालाब, जिला-वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से
दिखाया गया है।

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

21.12.2012 AC Anurag Kumar Singh
DIRECTOR

Kishu




हस्ब चौहद्दी जैल:-


- पूरब : जमीन तेज बहादुर (एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि.)
पश्चिम : नाली बादहूँ रंजीत सिंह वगैरह
उत्तर : जमीन सुरेश सिंह
दक्षिण : जमीन शेखर व केशव दास।


नोट: प्रश्नगत भूमि नगर निगम व आवास विकास सीमा से बाहर तथा चिह्नित मार्ग गंगापुर से जी.टी. रोड (तहसील रोड) पर स्थित है। कोई निर्माण नहीं है। कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। स्टैम्प के उद्देश्य से जायदाद मजकूर की मालियत $2800.892 \times 12,000/- = \text{मु. } 3,36,10,704/-$ रुपये पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से स्टैम्प मु. 16,80,536/- रुपये होता है जिसपर स्टाम्प शुल्क मु. 17,78,000/- जरिये ई-स्टाम्प मूल प्रमाण-पत्र संख्या-IN-UP49988022273030U, दिनांक 15.11.2022 ई. एवं संशोधित प्रमाण-पत्र संख्या- IN-UP00799629418483V, दिनांक 06.01.2023 ई. अदा किया गया है।

तहरीर तारीख : 07.01.2023 ई.

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

21/01/2023 के लिए 
DIRECTOR







गवाहान :

1. संदीप कुशवाहा

पुत्र अवध नारायण

मकान नं. डी. 53/100, छोटी गैबी,
लक्सा, कमच्छा, जिला-वाराणसी

मोबाइल नं. 9450387557



San

2. अरुण कुमार सिंह, एडवोकेट


पुत्र स्व. गिरजा प्रसाद सिंह

ग्राम-भदवर, पो. काशीपुर, तहसील राजातालाब,
जिला-वाराणसी

मोबाइल नं. 9450534909

मसविदाकर्ता: पंकज कुमार सिंह, एडवोकेट
दीवानी कचहरी, वाराणसी

कम्प्यूटर कम्पोजिंग : एफिशिएण्ट प्रिण्टर्स
दीवानी न्यायालय परिसर, वाराणसी



Arun

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

21 जे 21 ए 21 र 21.00 Anurag Kumar Singh
DIRECTOR



Kishor



- Nature of Way : चिह्नित मार्ग पर नहीं
 Status of Construction : रिक्त भूमि
 3. Nature of Construction (Commercial/Residential) : आवासीय
 4. Dimension :
 5. Position of Trees/Wells/ Boundary wall/ Gate & others : कुछ नहीं

COLOURED PHOTOGRAPH OF PROPERTY



1. **LAND OWNERS** : जितेन्द्र कुमार (पैन-AUVPS1649D, मोबाइल नं. 9450368461) व राजेश सिंह (पैन-AJPPS4409R, मोबाइल नं. 9415353821) पुत्रगण स्व. सकल नारायण सिंह निवासीगण मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी
 प्रथम पक्ष/भूस्वामीगण
2. **DEVELOPER** : एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., (पैन-ABGCS4413D, मोबाइल नं. 6394060040) पंजीकृत कार्यालय मकान नं. डी. 58/12 ए-12, मोहल्ला-सिंगरा, वाराणसी, उ. प्र.-221010 बजरिये निदेशक अनुराग कुमार सिंह पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह निवासी मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी, उ. प्र.
 द्वितीय पक्ष/डेवलपर
3. **Sale** : कुछ नहीं.
4. **Details of Property** : आराजी नं. 1565, रकबा-0.2770 हेक्टेयर यानी 30137.6 वर्गफीट यानी 2800.892 वर्गमीटर स्थित मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से दिखाया गया है।
5. **Boundaries** :
 पूरब : जमीन तेज बहादुर (एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि.)
 पश्चिम : नाली बादहूँ रंजीत सिंह वगैरह
 उत्तर : जमीन सुरेश सिंह
 दक्षिण : जमीन शेखर व केशव दास।
6. **Reasons which have affect stamp duty** : 20-12-2019 N.A. Anurag Kumar Singh


SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Hi 123



स्थलीय मानचित्र


आराजी नं. 1565, रकबा-0.2770 हेक्टेयर यानी 30137.6 वर्गफीट यानी 2800.892 वर्गमीटर स्थित मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से दिखाया गया है।



सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2800.892 वर्गमीटर

जमीन सुरेश सिंह

नाली बाबू रंजीत सिंह वगैरह



जमीन तेज बहादुर (एस. जे. आर. एस.
इन्फ्रासिटी प्रा. लि.)

JRS INFRACITY PVT. LTD

Aravind Kumar Singh
DIRECTOR

जमीन शेखर व केशव दास।

26/11/2020

Handwritten signature

आवेदन सं०: 202301035000179

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7596 के पृष्ठ 353 से 382 तक क्रमांक
123 पर दिनांक 07/01/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजयदेव.

उप निबंधक : गंगापुर

वाराणसी

07/01/2023